IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _______ of 2012

Kailash Sah ....**Petitioner**

Versus

The State of Bihar and others. ....**Respondents**

SUB: LAND REFORMS ACT

INDEX

Sl.No.	Particulars	Page No.
1.	An application under Article 226 of the Constitution of India with affidavit.	1 to 12
2. Annexure -1:	A photo stat copy of application dated 08.11.2006.	13 to 15
3. Annexure -2 :	A photo stat copy of report dated 26.12.06.	16
4. Annexure -3 : Series	A photo stat copy of order dated 13.02.07 and 13.04.07	17 to 19
5. Annexure -4 :	A photo stat copy of order dated 28.11.11.	20 to 29
6. VAKALATNAMA		

Rupak12/81

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _______ of 2012

Kailash Sah ....**Petitioner**

Versus

The State of Bihar and others. ....**Respondents**

<u>SUB: LAND REFORMS ACT</u>

<u>SYNOPSIS</u>

Prayer : For quashing the order dated 28.11.11 passed by Deputy Collector Land Reforms, Udakishunganj (Respondent No.4) in Case No. 51/2011-12, whereby the petition filed by respondent no. 3 for settle / resolve the dispute which arose due to his dispossession from the land measuring two acres appertaining to Khata No. 1934 (New), Khesra No. 2530 (New), Mauza - Fulaut but the respondent no. 4 without appretiating the relevent facts which had been brought on record by the petitioner by filing written statement, has wrongly been ordered to the Circle Officer, Chousa (Respondent No.5) and S.H.O. of Chousa Police station (Respondent No.6) to get possession of the land in favour of respondent no. 7.

Rupak12/82.

Facts

Para - 4 : The land-in-question is still in possession of petitioner.

Para - 5 : Settled the land in favour of Respondent No.7

Para - 6

8.11.06 (Ann-1) : Application filed by petitioner before Res.No.2

Para - 7

26.12.06(Ann-2) : Enquiry Report by Respondent No. 5

Para - 8 : Respondent No.2 is sitting over the matter.

Para-9

13.2.07 & 13.4.07

(Annex-3 Series) : Proceeding u/s 144 Cr. P.C.

Para - 10

15.7.11 : Res. No. 7 filed application before Res.No.4

Para - 11

28.11.11(Ann-4) : Order passed by Respondent No.4

Hence the present writ.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. ________ of 2012

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

And

In the matter of

Kailash Sah, Son of - Late Sahdeo Sah, Resident of Village - Fulaut (East), P.S. - Chousa, District - Madhepura.

.... Petitioner

Versus

1). The State of Bihar Revenue & Land Reforms Department

2) The Collector-cum-District Magistrate, Madhepura.

3) The Sub-Divisional Magistrate, Udakishunganj, District - Madhepura.

Rupak12/69

4) The Deputy Collector, Land Reforms, Udakishunganj, District - Madhepura.

5) The Circle Officer, Chousa Anchal, P.S. - Chousa, District - Madhepura.

6) The S.H.O. Chousa Police Station, District - Madhepura.

7) Jai Prakash Sharma, Son of - Late Sahdeo Sharma, Resident of Village - Fulaut (East), P.S. Chousa, District - Madhepura. ....Respondents

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, The Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble High Court.

The humble petition on behalf of the petitioner abovenamed.

Most respectfully sheweth :

1) That the present writ petition is being filed before this Hon'ble Court on behalf of the aforesaid petitioner in the

Rupak12/70

nature of certiorari for quashing the order dated 28.11.11 passed by Deputy Collector Land Reforms, Udakishunganj (Respondent No.4) in Case No. 51/2011-12, whereby the petition filed by respondent no. 7 for settle / resolve the dispute which arose due to his dispossession from the land measuring two acres appertaining to Khata No. 1934 (New), Khesra No. 2530 (New), Mauza - Fulaut but the respondent no. 4 without appretiating the relevent facts which had been brought on record by the petitioner by filing written statement, has wrongly been ordered to the Circle Officer, Chousa (Respondent No.5) and S.H.O. of Chousa Police station (Respondent No.6) to get possession of the land in favour of respondent no. 7.

2) That the following points are involved in the present writ petition for the consideration by this Hon'ble Court :-

i) Whether the respondent no. 2 has committed serious error of law as well as the facts involved in the

present case in allowing the application filed by respondent no.7.

ii) Whether the order passed by the Respondent no. 4 may be said to be non speaking order as the same does not contain the relevent facts which had been brought by the petitioner on record.

iii) Whether the respondent no. 4 may be said to have wrongly acted contrary to section 4 of Bihar Land Dispute Resolution Act, 2009, for short to be referred as ' The Act, 2009'.

3) That the petitioner is a citizen of India who has been residing in the district of Madhepura which falls within the territorial jurisdiction of the State of Bihar.

4) That it is stated that under Mauja - Fulaut, Thana No. 88, Khata No. 1934, Khesra No. 2530 total area 5 acres 68 decimals of land are agricultural land which belong to State of Bihar (Anabad Bihar Sarkar) in which 3 acres 92

Rupak12/72

decimals land had been decreed in favoùr of Late Manik Sah and remaining two acres of land is still in peaceful possession of the petitioner.

5) That it may be stated that much earlier in the year 2000 the respondent no.7 filed an application before the Circle Officer Chousa for settlement of land of Khata No. 1934 Khesra No. 2530 area 2 decimals situated at Mauja Fulaut and accordingly the Circle Officer, Chousa without giving any notice to the petitioner and without hearing him, had wrongly settled the aforesaid land in favour of Sri Jai Prakash Sharma (Respondent No. 7) in settlement Case No. 1/2000-01.

6) That a reumer had been arosen in the village that the said land had been settled in favour of Jai Prakash Sharma (Respndent No. 7) and immediately the petitioner filed an application before District Magistrate - cum - Collector, Madhepura on 08.11.06 for cancellation of settlement Case

Rupak12/73

No. 1/2000-01 and the Collector, Madhepura called for the resport from Circle Officer, Chousa (Respondent No.5).

A photo stat copy of application dated 08.11.06 is attached herewith and marked as Annexure-1 to this writ petition.

7) That the Circle Officer, Chousa had enquired about the matter and submitted a report before District Magistrate, Madhepura on 26.12.06 in which it has been mentioned there in that the land which had been settled in favour of Respondent No. 7 was not in his possession. The petitioner is in peaceful possession over the said land. It has also been mentioned there in that Sri Jai Prakash Sharma (Respondent No.7) is a very rich person.

A Photo stat copy of report dated 26.12.06 is attached

Rupak12/74

herewith and marked as Annexure-2 to this writ petition.

8) That after receiving the said report the District Magistrate Madhepura had/has not taken any action upon the matter and still he is sitting tight over the matter.

9) That it is also relevent to state here that on the basis of application filed by Jai Prakash Sharma (Respondent No.7) before Sub - Divisional Magistrate Udakishunganj a case being Misc. Case No. 75/07 had been instituted on 13.02.07 and initiating a proceeding u/s 144 Cr.P.C. which was dropped on 13.04.07.

A photo stat copy of order dated 13.02.07 and 13.04.07 are attached herewith and marked as Annexure-3 series to this writ petition.

Rupak12/75

10) That lastly on 15.07.2011 the Respondent no.7 had filed an application in the court of Respondent no.4 under ~~section 4 (Gha) read with~~ section 4 (k) (kh) and (g) of the Act, 2009 stating interalia that the petitioner - Kailash Sah forciebly dis-possessed Respondent No. 7 from the aforesaid land and on the basis of the said application Land Dispute Resolution Case No. 51/2011-12 was registered in the court of Respondent No. 4 and in persuance of the notice issued to the petitioner, he appeared and filed a written statement on his behalf, disputing the case of Respondent No.7 to the effect that he is a rich person and has a well settled business at Patna. On the basis of forge and fabricated document he has obtained the settlement letter of the said land.

11) That the Learned D.C.L.R. (Respondent No. 4) on28.11.11 in Land Dispute Resolution Case No. 51/2011-12, dis-satisfied with the Written Statement filed by petitioner,

Rupak12/76

has ordered the Circle Officer Chousa and S.H.O. of Chousa Police Station to get possession over the said land to Respondent No. 7.

A photo stat copy of order dated 28.11.11 is attached herewith and marked as Annexure-4 to this writ petition.

12) That it may be stated that from the persual of order contained in Annexure-4 the respondent no. 4 has committed serious error of law for getting possession of land-in-question in favour of respondent no. 7.

13) That it is stated and submitted that the Learned D.C.L.R. has exceeded his judicial power in not taking into consideration that the application for cancellation of settlement of the land - in - question (Annexure-1) is still pending before District Magistrate, Madhepura.

Rupak12/77

13) That it is stated and submitted that the D.C.L.R. (Respondent No.4) should have to appreciate the report (Annexure-2) in which it has been clearly mentioned that said Jai Prakash Sharma is a rich person. He had/has got a well settled business at Patna. The petitioner Kailash Sah was/is in peaceful possession over the said land.

14) That it may further be stated and submitted that respondent no. 4 has committed serious error in not considering the case of the petitioner in the perspective and as such the order contained in Annexure-4 may be set aside by this Hon'ble Court.

15) That the petitioner has got no other alternative and efficacious remedy to redress his grievance except to file the present writ petition before this Hon'ble Court.

16) That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble Court for the instant prayer.

Rupak12/78

It is, therefore, prayed that your Lordships be pleased to admit this application, issue Rule NISI, Calling upon the respondents to show cause as to why an appropriate writ be not issued and after hearing the parties set aside / quash the order contained in Annexure-4 or be pleased to pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper.

AND

During pendency of this application the operation of Annexure-4 be stayed

And for this the petitioner shall ever pray.

Rupak12/79

AFFIDAVIT

I, Kailash Sah, aged about - 52 years, Son of - Late Sahdeo Sah, Resident of Village - Fulaut (East), P.S. - Chousa, District - Madhepura do hereby solemnly affirm and say as follows :-

1. That I am the petitioner in this case and as such am fully acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have understood the same.

3. That the statements made in paras 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15 and 16 are true to my knowledge, those made in paras 6, 7, 9, 11 and 13 are true to my informations derived from the records of the case which I believe those to be true.

4. That annexures are xerox copies of their respective originals.

Rupak12/80

Annexure-1

(13)

श्री राजेश कुमार - भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी - मधेपुरा

विषय :- मधेपुरा जिला अन्तर्गत चौसा अंचल के फुलौत मौजा मे अवस्थित बिहार सरकार की जमीन से हम गरीबी रेखा से नीचे गुजर - बसर करने वाले को बेदखल किये जाने के सम्बन्ध मे ।

प्रसंग :- सम्पन्न वर्ग व्यापारी को भूमिहीन घोषित कर - दी गई जमीन को बन्दोबस्ती रद्द करने के सम्बन्ध मे ।

महाशय,

हम सभी गरीबी रेखा से नीचे गुजर - बसर करने वाले भूमिहीन गरीब परिवार यह आवेदन समर्पित कर विनम्र पूर्वक नम्र निवेदन इस प्रकार करना है कि :-

[illegible] चौसा अंचल, फुलौत मौजा, थाना नं० - 88, जिला- मधेपुरा के अन्तर्गत खाता - 1934, खेसरा 2530 की कुल रकबा 5 एकड़ 68 डी० (पाँच एकड़ अरसठ डी०) बिहार सरकार की जमीन खेती योग्य है जिसमें [illegible] - 92 डी० (तीन एकड़ बेरानबे डी०) जमीन पर केवालादार [illegible] स्व० मलिक साह ने अधिकार वाद से आदेश एवं डिग्री प्राप्त कर लिया है । शेष 02 (दो बीघा) बीघा जमीन जो हमारे पूर्वजों ने जोत - आबाद कर फसल से अपने एवं परिवारों का भरण - पोषण करते आ रहे थे जिसपर वर्तमान में उनका लड़का एवं ग्रामीण सभी साथ जोत - आबाद कर जिसपर शांतिपूर्वक हम सभी का दखल - कब्जा उगाही करते आ रहा हूँ । जिसपर शांतिपूर्वक हम सभी का दखल - कब्जा वर्तमान समय में बरकरार है । जिस खाता को हम सभी हर हमेशा [illegible] करने को तैयार हूँ ।

जिला जन शिकायत [illegible]
संख्या [illegible]

उल्लेखनीय है कि हमारे गाँव के सम्पन्न किराना दुकान चलाने वाले श्री सहदेव शर्मा (मिस्त्री) का लड़का जिनकी कारोबार सभी भाईयों का अलग - अलग है तथा पटना में पेटू अन्तर्गत एक कैन्टीन का भी कार्य कर रहा है के साथ ग्रामीण स्तर पर श्री जय प्रकाश मिस्त्री माहीर राजनीति का कार्य किया करते हैं ने जाल - फरेबी रच कर तथा कथित नीचे उल्लिखित खाता, खेसरा एवं रकबा की शेष जमीन पर अंचलाधिकारी चौसा से ऐन - केन - प्रकारेण बन्दोबस्ती प्राप्त कर लिया है जो कि भूमिहीन के

श्रेणी में कभी नहीं आता है । क्योंकि इन्होंने शिक्षित बेरोजगार के आधार पर बैंक से भी दुकान की कारोबार हेतु कर्ज भी प्राप्त किया है जिसे भूमिहीन कदापि नहीं कहा जा सकता है तथा बैसxxxसxxxxxx सभी भाईयों का एक से बढ़कर एक दुकान चलती है । वैसे धाकियों ने हम गरीब के पेट पर लात मारकर चुपके - चुपके से हम सभी का जोत आबाद वाली भूमि जिसका खाता - 1934, खेसरा 2530 को रकबा - 5 एकड़ 68 डी० में से दो बीघा जमीन जिसका चौहद्दी - पश्चिम - खेसरा 2530, पूरब - खेसरा 2530, उत्तर - बिहार सरकार, दक्षिण - नाला, जो अनाबाद बिहार सरकार की जमीन है बन्दोबस्ती करवाकर हम सभी को बेदखली करने पर आमादा है।

एतद् प्रसंग में उल्लेखनीय है कि हम गरीब को मात्र यही भूमि खेती योग्य है जिसके सहारे अपना एवं परिवारों का भरण - पोषण करता हूँ तथा बन्दोबस्तीदार व्यापारी एक सम्पन्न व्यापार करनेवाला है । जिसे कदापि भूमिहीन कहना या xxxx घोषित करना अन्याय एवं नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल कहा जाएगा ।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि हमारे आवेदन पर गंभीरता पूर्वक ध्यान केन्द्रित कर इनसे हुई बन्दोबस्ती को रद्द करने तथा स्थलीय जाँचकर हम सभी के साथ न्याय करने की कृपा की जाय । क्योंकि उक्त भूमि का हम सभी जोत - आबाद कर फसल उगाही करते आ रहा हूँ। जिस भूमि को सम्पन्न व्यापारी ने जाली - जाली तरीके से बन्दोबस्ती प्राप्त कर हम सभी को बेदखली करने पर उतारू है । जिनका बन्दोबस्तीxxx रद्द कर हम गरीबी रेखा से नीचे गुजर - बसर करने वाले परिवारों के साथ बन्दोबस्ती करने की कृपा कर जीविकोपार्जन हेतु एक सहारा एवं नैसर्गिक न्याय करने की पहल करने की कृपा की जाय तथा हम दखल रैयत को जिसके द्वारा परती कदीम जमीन के स्वरूप में परिवर्तन कर जोत आबाद कर फसल उगाही करते आ रहे हैं से बेदखल न कर दें और नियमों के अनुसार उचित लगान निर्धारित कर उसे हम सभी के साथ नियमित रूप से बन्दोबस्ती कर देने की कृपा की जाय जो नियमा-

15

नुकूल नहीं होगी । साथ ही साथ अंचलाधिकारी ×××××× चौसा को निर्देश देने की कृपा की जाय कि ऐसे मामले में वे स्वयं स्थल निरीक्षण एवं समीक्षा कर पूर्ण विवरण श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करें । विवरण प्राप्ति पश्चात, श्रीमान् द्वारा प्राविधिक नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सम्पन्न इस प्रसंग में कराया जाय । हम सबों की दखली जमीन पर स्वामित्व एवं दखली - कब्जा पूर्ववत् शांति बरकरार रह पावे । श्रीमान् के इस कृपा का मैं सदा आभारी बना रहूँगा ।

श्रीमान् का विश्वासी

[signature]

पिता - स्व० [signature]

ग्राम +पो० - कलौंत पूर्वी

अंचल व थाना - चौसा ,

जिला- मधेपुरा ।

- 8 NOV 2006

Annexure -1 Typed copy

सेवा में,

श्री राजेश कुमार, भा0 प्र0 से0,

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा ।

विषय : मधेपुरा जिला अन्तर्गत चौसा अंचल के पुलौत मौजा में अवस्थित बिहार सरकार की जमीन से हम गरीबी रेखा से नीचे गुजर-दरार करने वाले को बेदखल किये जाने के संबंध में ।

प्रसंग : सम्पन्न वर्ग व्यापारी को भूमिहीन घोषित कर - की गई जमीन को बन्दोबस्ती रद्द करने के संबंध में ।

महाशय,

हम सभी गरीबी रेखा से नीचे गुजर - बसर करने वाले भूमिहीन गरीब परिवार वह आवेदन समर्पित कर विनम्र पूर्वक नम्र निवेदन इस प्रकार करना है कि :-

1. चौसा - अंचल, पुलौत मौजा, थाना नं0 - 88, जिला - मधेपुरा के अन्तर्गत खाता - 1934, खेसरा 2530 की कुल रकवा 5 एकड़ 68 डी0 (पाँच एकड़ अरसठ डी0) बिहार सरकार की जमीन खेती योग्य है जिसमें करीब - 92 डी0 (तीन एकड़ बैरानवे डी0) जमीन पर केवालादार श्री/स्व0 मनीक साह ने अधिकार वाद के आदेश एवं डिग्री प्राप्त कर लिया है । शेष 02 (दो बीघा) बीघा जमीन जो हमारे पूर्वजों ने जोत -आवाद कर फसल से अपने एवं परिवारों का भरण-पोषण करते आ रहे थे जिसपर वर्तमान के उनका लड़का एवं ग्रामीण बुचो साह जोत - आबाद कर फसल उगाही करते आ रहा हूँ । जिसपर शांतिपूर्वक हम सभी का दखल कब्जा वर्तमान समय में बरकरार है । जिस दावा को हम सभी हर हमेशा प्रमाणित करने को तैयार हूँ ।

उल्लेखनीय है कि हमारे गाँव के सम्पन्न किराना दुकान चलाने वाले श्री सहदेव शर्मा (मिस्त्री) का लड़का जिनकी कारोबार सभी भाईयों का अलग-अलग है तथा पटना में पेसू अन्तर्गत एक कैन्टीन का भी कार्य कर रहा है के साथ ग्रामीण स्तर पर भी जय प्रकाश मिस्त्री माहीर राजनीति का कार्य किया करते है ने जाल-फरैवी रच कर तथा कथित नीचे उल्लिखित खाता, खेसरा एवं रकवा की शेष जमीन पर अंचलाधिकारी चौसा से ऐन-केन-प्रकारेण बन्दोबस्ती प्राप्त कर लिया है जो कि भूमिहीन के

Raj99/471

श्रेणी में कमी नही आता है । क्योंकि इन्होंने शिक्षित बेरोजगार के आधार पर बैंक से भी दुकान की कारोबार हेतु कर्ज भी प्राप्त किया है जिसे भूमिहीन कदापि नहीं कहा जा सकता है तथा सभी भाईयों का एक से बढ़कर एक दुकान वैसी है । वैसे व्यक्तियों ने हम गरीब के पेट पर लात मारकर चुपके – चुपके से हम सभी द्वारा जोत आबाद वाली भूमि जिसका खाता – 1934, खेसरा 2530 को रकवा – 5 एकड़ 68 डी0 में से दो बीघा जमीन जिसका चौहद्दी – पश्चिम – खेसरा – 2530, पूरब – खेसरा 2530, उत्तर – बिहार सरकार, दक्षिण – नाला, जो अनावाद बिहार सरकार की जमीन है बन्दोबस्ती करवाकर हम सभी को बेदखली करने पर आमादा है ।

एतद प्रसंग में उल्लेखनीय है कि हम गरीब को मात्र यही भूमि खेती योग्य है जिसके सहारे अपना एवं परिवारों का भरण- पोषण करता हूँ तथा बन्दोवस्तीदार व्यापारी एक सम्पन्न व्यापार करनेवाला है । जिसे कदापि भूमिहीन कहना था घोषित करना अन्याय एवं नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल कहा जाएगा ।

अत: श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि हमारे आवेदन पर गंभीरता पूर्वक ध्यान केन्द्रित कर इससे जुड़े बन्दोबस्ती को रद्द करने तथा स्थलीय जाँचकर हम सभी के साथ न्याय करने की कृपा की जाय । क्योंकि उक्त भूमि का हम सभी जोत-आवाद कर फसल उगाही करते आ रहा हूँ। जिस भूमि को सम्पन्न व्यापारी ने वाला – वाली तरीके से बन्दोवस्ती प्राप्त कर हम सभी को बेदखली करने पर उतारू है । जिनका बन्दोबस्ती रद्द कर हम गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों के साथ बन्दोबस्ती करने की कृपा कर जिविकोपार्जन हेतु एक सहारा एवं नैसर्गित न्याय करने की पहल करने की कृपा की जाय तथा हम दखली रैयत को जिसके द्वारा परती कदीम जमीन के स्वरूप में परिववर्तन कर जोत आवाद कर फसल उगाही करते आ रहे हैं से बेदखल न कर दें और नियमों के अनुसार उचित लगान निर्धारित कर उसे हम सभी के साथ नियमित रूप से बन्दोबस्ती कर देने की कृपा की जाय जो नियमा–

Raj99/472

नुकूल सही होगी । साथ ही साथ अंचलाधिकारी चौसा को निर्देश देने की कृपा की जाय कि ऐसे मामले में वे स्वयं स्थल निरीक्षण एवं समीक्षा कर पूर्ण विवरण श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करें । विवरण प्राप्ति पश्चात श्रीमान् द्वारा प्रावैधिक नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सम्पन्न इस प्रसंग में कराया जाय । हम सभों की खाली जमीन पर स्वामित्व एवं दखली-कब्जा पूर्व भाँति बरकरार रह पाये । श्रीमान् के इस कृपा का मैं सदा आभारी बना रहूँगा ।

श्रीमान् का विश्वासी

ह0/- कैलाश साह

पिता- स्व0 सहदेव साह

ग्राम+पो0 - फुलौत पूर्वी

अंचल व थाना - चौसा

जिला - मधेपुरा ।

पत्रांक 413 / Annexure-2

(16)

प्रेषक:— अंचल अधिकारी,
—चौसा।

सेवा में,
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

चौसा, 26 दिसम्बर 2006.

विषय:- मौजा फुलौत थाना नं० 88 खाता 1934 खेसरा 2630 रकबा 6-68 एकड़ की बन्दोबस्ती के संबंध में।

प्रसंग:- आपके पत्रांक 691/जन शि० दिनांक 20-11-06

महाशय,

आदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक संबंध में आवेदक कैलाश साह पिता स्व० सहदेव साह ग्राम+पो० फुलौत पूर्वी (चौसा) द्वारा सहदेव शर्मा का पुत्र राम प्रकाश मिस्त्री के संबंध में दिये गये आपत्ति आवेदन का जाँच किया। जाँचोपरांत निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आया।

(1) कि मौजा फुलौत थाना नं०-88 के खाता 1934 खेसरा 2630 कुल रकबा 6-68 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि में से 0.43½ एकड़ [illegible] साह व उपेन्द्र साह व अंजू साह पिता माणिक साह सा० फुलौत के नाम स्थायी बन्दोबस्ती के द्वारा [illegible] जमाबन्दी नं०-122 कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया। जो वर्ष 2004-05 तक निर्गत है।

(2) कि उक्त भूमि के अंश 3.37 एकड़ भूमि बन्दोबस्ती वाद सं० 121/92 द्वारा माणिक साह पिता स्व० भुवन साह सा० फुलौत के नाम जमाबंदी नं० 121 कायम कर वर्ष 2004-05 तक लगान रसीद निर्गत है। इस तरह कुल 3.80½ (तीन एकड़ साढ़े अस्सी डिसमिल) बन्दोबस्ती दोनों किया गया है।

(3) कि बन्दोबस्ती वाद सं० 19/2000-01 के द्वारा 2.00 (दो एकड़) भूमि का बन्दोबस्ती श्री राम प्रकाश शर्मा पिता सहदेव शर्मा (मिस्त्री) सा० फुलौत के नाम किया गया है। इस प्रकार कुल 6-68 के बजाय 6-80½ यानी 12½ डी० अधिक की बन्दोबस्ती की गयी है।

(4) कि श्री राम प्रकाश शर्मा के नाम किये गये बन्दोबस्ती भूमि पर उनका कब्जा नहीं है। उक्त भूमि आवेदक कैलाश साह का बताया जाता। साथ ही श्री शर्मा के बारे में सम्पन्न लोग बताया गया।

अतएव प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक:- अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन
अंचल अधिकारी

Annexure -2 Typed copy

पत्रांक - 413

सपत्र

प्रेषक :- अंचल अधिकारी,
चौसा ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा ।

चौसा 26 दिसम्बर 2006

विषय : मौजा फुलौत थाना न0 88 खाता 1934 खेसरा 2530 रकवा - 1.74 एकड़ बेदखली के संबंध में ।

प्रसंग : भवदीय पत्रांक 6911 ज0शि0, दिनांक 20.11.06

महाशय,

आदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक संबंध में आवेदक कैलाश साह पता स्व0 सहरेन साह, ग्राम + पो0 - फुलौत पूर्वी (चौसा) बनाम सहदेव शर्मा का पुत्र जय प्रकाश मिस्त्री के संबंध में दिये गये आपत्ति आवेदन का जाँच किया । जिसमें निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आया ।

1. कि मौजा फुलौत थाना न0. 88 के खाता 1934 खेसरा 2530 कुल रकवा - 5.68 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि में से 0.43½ एकड़ छठू साह वो उपेन्द्र साह वो शंभू साह पिता माणिक साह नि0 फुलौत के नाम स्वत्व वाद के द्वारा आदेशों प्राप्त जमाबन्दी न0 122 कामन कर भू-लगान रसीद निर्गत किया गया । जो वर्ष 2004-05 तक निर्गत है ।

2. कि उक्त भूमि के अंश 3.37 एकड़ भूमि स्वत्व वाद सं0 121/92 द्वारा माणिक साह पिता स्व0 भूखन साह सा0 फुलौत के नाम जमाबंदी न0 - 121 कलम कर वर्ष 2004-05 तक भू-लगान रसीद निर्गत है । उस प्रकार कुल 3.80½ (तीन एकड़ साढ़े अस्सी डीसमल) खारिज कर दर्ज किया गया है ।

3. कि भू-बन्दोवस्ती वाद सं0 19/2000-01 के द्वारा 2.00 (दो एकड़) भूमि का बन्दोवस्ती श्री जय प्रकाश शर्मा पिता सहदेव शर्मा (मिस्त्री) सा0 फुलौत के नाम किया गया है । इस प्रकार 5.68 के बजाय 5.80½ यानी 12½ डी0 अधिक ही बन्दोबस्ती दी गयी है ।

4. कि श्री जय प्रकाश शर्मा के नाम किये गये बन्दोबस्ती भूमि पर दखल कब्जा नही है । इस पर आवेदक कैलाश साह का बताया गया । साथ ही श्री शर्मा के बारे में सम्पनन व्यक्ति बताया गया ।

अतएव प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक - आवेदन-पत्र मूल में ।

ह0/- अस्पष्ट
26.12.06

Raj99/470

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि प्रतिलिपि तै... Date on which ... was ready fo...	
18/5/07 15-5-07	4-6-07	4-6-07	4-6-07	4-6-07

Annexure-3

(17)

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदा किशुनगंज।

विविध वाद संख्या- 75/2007

जय प्रकाश शर्मा बनाम कैलाश साह । अन्य

अन्दर धारा 144 दं0 प्र0 सं0

= = = = = = = = = = = = = = = =

13.2.07 जयप्रकाश शर्मा पिता सहदेव शर्मा सा0- फुलौत थाना- चौसा जिला- मधेपुरा ने धारा 144 दं0 प्र0 सं0 को प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आवेदन दाखिल किया है जिसमें निम्नांकित भूमि को लेकर विवाद बताया गया है:-

विवादी भूमि का विवरण

======================

मौजा- फुलौत , थाना नं0-88

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
		ए0डी0	
1934	2530	02.00	उ0- ड्रेनेज

TWENTYFIVE PAISE

COURT 35 P.

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

(18)

द०- नाला

पू०- छट्ठू साह वो उपेन्द्र साह

कुल दो एकड़ ------------

प०- छट्ठू साह वो उपेन्द्र साह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं सम्यक विचारोपरान्त मैं भी संतुष्ट हूँ कि उपरोक्त विवादी जमीन को लेकर शांति भंग होने की संभावना है इसलिए उपरोक्त विवादी जमीन पर धारा 144 द०प्र०सं० की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है उभय पक्षों के विरुद्ध प्रक्रिया नोटिस निर्गत करें कि दि०- 1.3.07 को न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा समर्पित करें कि क्यों नहीं जारी निषेधाज्ञा को किन्हीं एक अथवा दोनों पक्षों के विरुद्ध निरपेक्ष किया जाय।

दिनांक- 1.3.07 को रखें।

ह०/-अस्पष्ट

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

उदाकिशुनगंज।

4-6-07

प्रतिलिपिक

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रधान लिपिक 04/06/07

अनुमंडल कार्यालय

उदाकिशुनगंज

TWENTYFIVE PAISE

COURT FEE 2 Rs. INDIA TWO RUPEES

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, ... प्र... Date o... was re... delivery.	... की ... the copy to the applicant.

(19)

3.

विविध वाद संख्या-75/2007

======================

13.4.07 उभय पक्षों द्वारा अधिवक्ता हाजिर,

उभय पक्ष से सुची के साथ कागजात दाखिल किया गया।

पुनश्च: अभिलेख उपस्थापित, अवलोकन किया.

अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण अभिलेख को सुना नही गया जिससे विवाद का सही कारण स्पष्ट नही हो रहा है।

अत: वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

ह0/=अस्पष्ट
13.4.07
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

प्रतिलिपिकार

प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रधान लिपिक
अनुमंडल कार्यालय
उदाकिशुनगंज

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख [illegible] Date [illegible] was [illegible]	[illegible]
87 9-02-012	18-02-012	13-02-012	13-02-012	13-02-012

Annexure 4 (20)

न्यायालय , भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज ।

बिहार भूमि विवाद अधिनियम आवेदन/ वाद संख्या-51/2011-12

जयप्रकाश शर्मा बनाम कैलाश साह अन्य ।

15.7.11 आवेदक जयप्रकाश शर्मा पिता स्व0 सहदेव शर्मा, ग्राम-फुलौत [पूर्वी] थाना- चौसा, जिला- मधेपुरा ने विपक्षीगण:-[1] कैलाश साह पिता स्व0 सहदेव साह [2] बुचो साह पिता स्व0 जगदीश साह ग्राम-फुलौत [पूर्वी] थाना- चौसा, जिला- मधेपुरा के विरुद्ध बिहार भूमि विवाद अधिनियम ,2009 के तहत आवेदन दाखिल कर निवेदन किया है कि विपक्षी के द्वारा दखल की गई भूमि पर वादी को दखल-वापस दिलाने की कृपा की जाय ।

विवादी भूमि का विवरण

मौजा-फुलौत थानानं0-88, अंचल-

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
		ए0-डी0	
1934नं0	2530नं0	02-00	उ0-ड्रेन

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

(21)

2.

चौहद्दी :-

द0-नाला

पू0-छट्ठू साह वो उपेन्द्र साह वगैरह

प0-छट्ठू साह वो उपेन्द्र साह वगैरह

आवेदक के आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षीगण को सूचना निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 30.7.11 को प्रस्तुत करें।

ह0/-अस्पष्ट

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता

उदाकिशुनगंज।

13.02.012 प्रतिलिपिकार

13.02.012

प्रमाणित प्रतिलिपि
13.02.012
प्रधान लिपिक
अनुमंडल कार्यालय
उदाकिशुनगंज

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ संख्या सूचित करने तारीख Date fixed for the requisite number of stamps and folios.	of ... folios.

3.

(22)

न्यायालय , भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज

बिहार भूमि विवाद अधिनियम आवेदन/ वाद संख्या-51/2011-12

जय प्रकाश शर्मा बनाम कैलाश साह अन्य ।

26.11.11 वादी की अधिवक्ता हाजरी प्राप्त ।

प्रतिवादी की अधिवक्ता हाजरी प्राप्त ।

उभय पक्ष के विद्व अधिवक्ता को अभिलेख 51 / 11-12 92/11-12 को एक साथ सुना । उभय पक्ष अपने- अपने दावे के समर्थन में लिखित बहस एवं कागजात दाखिल करें। लिखित बहस एवं कागजात दाखिल करने हेतु अभिलेख दिनांक- 28.11.11 को रखें । निर्धारित तिथि को अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत करें ।

ह0/- अस्पष्ट

भू0 सु0 उप0 स0

28.11.11 आदेश तीन {3} प्रति में संलग्न है।

ह0/- अस्पष्ट

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

(23)

भू0 सु0 उप0 स0

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज

भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 या 51/ 2011-12

जयप्रकाश शर्मा बनाम कैलाश साह एवं एक अन्य

आदेश

28.11.11 दिनांक 15.07.2011 को वादी जयप्रकाश शर्मा पिता स्व0 सहदेव शर्मा, साकिन-फुलौत, पूर्वी, थाना- चौसा, जिला- मधेपुरा ने उसी गाँव के प्रतिवादी कैलाश साह पिता स्व0 सहदेव साह एवं 2. बुधो साह पिता जगदीश साह के विरूद्ध निम्नांकित जमीन के लिये बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम ,2009 की धारा 4(1)(क)(ख)(ग) के अंतर्गत यह वाद दायर किया है :-

मौजा- फुलौत, थाना नं0 - 88 , अंचल- चौसा

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
1934नया	2530नया	02एकड़	उ0-ड्रेनेज

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

(24)

चौहद्दी

द0- नाला

पू0- छठु साह वो उपेन्द्र साह वगैरह

प0- छठं साह वो उपेन्द्र साह वगैरह

2. प्रतिवादियों को नोटिस दिया गया। दिनांक 07.10.2011 को वादी ने आवेदन दिया कि इस वाद को आवेदन संख्या 92/ 2011-12 को एक साथ सुना जाय। उक्त आवेदन अभिलेख को इस वाद के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। दिनांक 18.11.11 को प्रतिवादियों की ओर से प्रत्युत्तर पत्र दिया गया। दिनांक 26.11.2011 को उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। दिनांक 28.11.2011 को उभय पक्षों की ओर से लिखित बहस एवं कागजी सबूत दाखिल किया गया।

3. वादी का दावा :-

3.1 प्रश्नगत जमीन का हाल सर्वे खतियान बिहार सरकार के नाम प्रकाशित है। बंदोवस्ती अभिलेख संख्या 01 / 2000-01 द्वारा इनके नाम

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

(25)

02 एकड की बंदोवस्ती की गयी । ये प्रश्नगत जमीन पर दखलकार हुए, इनके नाम जमाबंदी सृजित हुआ और ये मालगुजारी रसीद प्राप्त कर रहे हैं ।

3.2 दिनांक 03.05.2001 को गाँव के बीरो मेहता को उकसाकर वादी को प्रश्नगत जमीन से बेदखल करना चाहा । पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर विविध वाद संख्या- 324 / 2001 धारा 144 द0 प्र0 सं0 प्रारंभ की गयी और इनके पक्ष में आदेश पारित किया गया ।

3.3 वर्ष 2006 ई0 में वादी गाँव से बाहर चला गया तो प्रतिवादी इनकी पत्नी कुमारी रानी को विभिन्न तरह से धमकी दिया तो वह इतलाय संख्या 592 / 2006 दायर की।

3.4 प्रतिवादी इनके द्वारा लगाये गये फसल को उजाड कर ले जाने पर आमादा हो गये तो विविध वाद संख्या 73 / 2007 धारा 144 द0 प्र0 सं0 प्रारंभ हुई ।

3.5 जिला कार्यालय से माँग किये जाने पर अंचल अधिकारी, चौसा

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख। Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

(26)

ने अपने पत्रांक 381 /2 दिनांक 24.10.2007 द्वारा प्रतिवेदन भेजा कि 2008 में बाढ में प्रश्नगत जमीन में से कुछ में बालू एकत्र हो गया तो कुछ मे कटाव हो गया । वर्ष 2009 , 2010 के बाढ में पुन: जमीन समतल हो गया तो 2011 ई0 में वादी पुन: खेती करने बाहर से आया तो मालुम हुआ कि प्रतिवादी पुन: जबरन बेदखल कर दिया है। वादी जब प्रतिवादी से पुछने गया तो वे एक लाख रुपये की मांग किये ।

3.6 वादी ने अपने दावे के समर्थन में बेदोवस्ती परवाना, मालगुजारी रसीद , विविध वाद संख्या-324/2001 धारा 144 दं0 प्र0 सं0 में पारित आदेश, अंचल अधिकारी चौसा का पत्रांक 381-2 दिनांक 24.10.2007 की छायाप्रति एवं इतिलाय संख्या 592/ 2006 की प्रति दाखिल किया है।

4.प्रतिवादियों का दावा :-

4.1 प्रश्नगत जमीन का कुल रकबा 05.68 एकड बिहार सरकार के नाम कृषि योग्य भूमि है।

भारत

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

(27)

4.2 केवालादार स्व0 मनिक साह ने अधिकार वाद में 03.92 एकड जमीन का हकदार और दखलकार हुए, तदनुसार उनके नाम जमाबंदी कायम हुआ और वे मालगुजारी रसीद प्राप्त कर रहे हैं।

4.3 दो बीघा जमीन प्रतिवादी पूर्वज के समय से ही जोत आवाद कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं।

4.4 वादी सुखी सम्पन्न व्यक्ति है और चुपके से प्रतिवादी के दखल की जमीन का बंदोवस्ती करा लिये ।

4.5 दिनांक 08.11.206 को जिला पदाधिकारी महोदय को आवेदन आवेदन दिया तो अंचल अधिकारी, चौसा से प्रतिवेदन की मांग किये। अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया कि प्रश्नगत जमीन पर वादी नहीं प्रतिवादी दखलकार है।

4.6 यह बेदखली का मामला नहीं है।

4.7 प्रतिवादी ने अपने दावे के समर्थन में विविध वाद संख्या 75/2001 धारा 144 दं0 प्र0 सं0 का आदेश, अंचल अधिकारी , चौसा का

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

28

पत्रांक 413 - 2 दिनांक 26.12.2006 की प्रति जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को दिये गये आवेदन की प्रति दाखिल किया ।

5. Findings :-

5.1 अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार छठु साह, उपेन्द्र साह, शंभू साह पिता मनिक साह को अधिकार वाद से 43.5 डीसमल जमीन मिला और जमाबंदी नं0 182 उनके नाम कायम है। अधिकार वाद संख्या 121 /1992 द्वारा मनिक साह को 03.37 एकड़ मिला जिसके लिये जमाबंदी नं0 721 कायम हुआ । वादी को 12.5 डीसमल अधिक जमीन बंदोवस्त हो गया ।

5.2 जब तक सक्षम न्यायालय से बंदोवस्ती रद्द नहीं कर दी जाती है, तब तक बंदोवस्तदार को संरक्षण दिया जाना है।

अत: अंचल अधिकारी / थानाध्यक्ष, चौसा वादी को प्रश्नगत जमीन में से 01 एकड़ 87.5 डीसमल पर विधिवत दखल कब्जा दिला देंगे।

इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी / थानाध्यक्ष ~~चौसा को~~

भारत

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.

10

(29)

चौसा को भेजें ।

लेखापित एवं सशोधित

ह0/- अस्पष्ट

भू. सु. उ. स.

ह0/- अस्पष्ट
28.11.11

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,

उदाकिशुनगंज ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
13.2.12
प्रधान लिपिक
अनुमण्डल कार्यालय
उदाकिशुनगंज

13.02.012

13.2.012

प्रतिलि